ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 10, Issue 4,April 2020 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

महिला कल्याण में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

Ravikant Ranjan
Research Scholar
Department of Public Administration
Veer Kunwar Singh University Ara, Bihar

महिला आयोग एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधर पर महिलाओं के संवैधनिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधन निकाय है।[1] भारतीय महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जिसके उद्देश्य हैं–महिलाओं के लिए मौजूद संवैधनिक एवं वैधनिक प्रावधनों का पुनरीक्षण, विधयी उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों को निपटाने के लिए सुविधएँ देना तथा महिला संबंधी सभी नितिगत मामलों में सरकार को परामर्श देना है । आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पूरा होने के पश्चात् ललिता कुमारमंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था। मगर पिछले साल सितंबर में पद छोड़ने के बाद रेखा शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यह संभाल रही थी, और अब रेखा बनाया गया है।[2] जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है।[3] यह आयोग भारत में महिलाओं के अध्किारों का प्रतिनिध्त्वि करना और उनके मुद्दें और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करती है। उनके अभियानों के विषयों में दहेज, राजनीति धर्म, नौकरियों में महिलाओं के लिए शोषण शामिल है।

वर्तमान में यह आयोग निमनलिखित छह क्षेत्रों में कार्य कर रहा है:

1. **कानून एवं विधि–निर्माण** : इस कार्य के लिए आयोग ने सर्वोच्य न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों, विधिवेताओं और समाज वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ सतितियाँ गठित कीं। इनके द्वारा विभिन्न महिला संबंधी कानूनों तथा दहेज निषेध अधिनियम, सती कार्य निषेध अधिनियम, बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम आदि में निहित खामियों को रेखांकित किया गया और उनमें संशोध्न का सुझाव दिया गया। भारतीय दंड सहिंता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम में संशोध्न हेतु आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ की :

- ❖ विवाह की आड़ में नाबालिग लड़कियों की ब्रिक्री जैसी बुराई खत्म करना।
- ❖ द्विपत्नी–विवाह संबंधी कानून को ज्यादा सख्त बनाना। बलात्कार, खासकर नाबालिग लड़कियों क साथ बलात्कार संबंधी कानूनों को ज्यादा प्रभावकारी बनाना।
- ❖ पुलिस या कारा संरक्षण में रखी महिलाओं की दशा सुधरना सभी समुदायों के लिए समान विवाह कानून बनाना।
- ❖ महिलाओं पर की जाने वाली घरेलू हिंसा रोकने हेतु कानून बनाना।

उपरोक्त मामलों में जनजागरण हेतु आयोग ने कई सेमिनारों, कार्यशालाओं, एवम् सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें बच्चियों का यौन–शोषण, महिलाओं को पुलिस/कारा संरक्षण में न्याय, बाल आहार प्रथा, न्याय व्यवस्था आदि प्रमुख मुद्दे थे।

2. **महिलाओं को अभिरक्षण न्याय :** महिलाएँ पुलिस हवालात या कारागार में किसी आरोप के अभियुक्त के रूप में अभिरक्षण में रखी जाती हैं। दुर्भाग्यवश कई राज्यों में पुलिस हवालात में ही महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती है और हत्या तक कर दी जाती है। यही स्थिति कारागारों में हैं जहाँ कम जगह में अध्कि महिलाएँ ठूसी रहती हैं, उनके नहाने–धेने, कपड़े आदि को समुचित व्यवस्था नहीं होती तथा उनके साथ यौनाचार जैसे जघन्य अपराध् किए जाते हैं। सो आयोग के दल ने कई राज्यों की जेलों का निरीक्षण किया। एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसाओं पर आयोग द्वारा आहूत कारागाार महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विचारित किया गया। आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं–

- ❖ दंड प्रक्रिया संहिता में संशोध्न, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरफ्रतारी पर रोक
- ❖ महिलाओं की तलाशी सिपर्फ महिला ले जो कानूनन अध्कृित है।
- ❖ महिला कैदियों को शारीरिक दंड देने पर रोक।
- ❖ महिलाओं को हथकडी लगाने पर रोक द्वारा संचालित थाने तथा हवालात।
- ❖ प्रत्येक राज्य में महिलाओं के लिए अलग से कारागार एवं विचारण बाल महिला बंदियों को अलग रहने की व्यवस्था।
- ❖ प्रत्येक बंदी को मुक्त वैध्कि सहायता तथा हर जेल से छुटे कैदियों की सहायता समितियाँ गठित करना तथा जेल में गई महिलाओं के साथ वाले बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करना।

3 **बच्चियों का यौन शोषण :**

बच्चियों का यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आयोग ने विध्कि विशेषज्ञों, चिकित्सा विधिक मनोवैज्ञानिकों, पुलिस अध्किर्ताओं, मानसिक स्वास्थ विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, पुलिस अध्किारियों तथा महिला कार्य कर्ताओं का सेमिनार आयोजित किया। तत्पश्चात् आयोग ने बलात्कार तथा यौन–शोषण के चिकित्साविध्कि आयामों पर एक जघन्य अपराध् के लिए दंड बढ़ाने की अनुशंसा की। कर्नाटक, आध्प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एवं दिल्ली जैसे राज्यों में ऐसे मामलों का अनुश्रवण करने हेतु सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की उपसमितियाँ गठित की गई।[6] इसके अलावा आयोग ने छेड़छाड़ एवं बलात्कार की पीड़ित बच्चियों की पहचान की तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए मदद दी गई।

4 **महिला अधिकारों की वंचना एवं अत्याचारों का निवारण :**

महिलाओं पर हो रही हिंसा को दूर करने के उद्देश्य से आयोग का ऐसे मामलों की जाँच के लिए दीवानी न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है–

- ❖ भारत के किसी क्षेत्रा से किसी व्यक्ति को बुलाना और उनका परीक्षण करना।
- ❖ कोई दस्तावेज पेश करना।
- ❖ शपथ–पत्रा पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- ❖ कोई सार्वजनिक अभिलेख मंगवाना।
- ❖ गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु विशेष कमीशन भेजना।

1992–95 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत भर से प्राप्त 800 से ज्यादा शिकायतों में दहेज के लिए नंगा घूमाना, पुलिस–उत्पीड़न, गैर–अपराधी मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को जेल में रखना, पत्नी–परित्याग, द्विपत्नी विवाह आदि के मामले प्रमुख थे। एक ऐसा मामला आयोग के समक्ष आया जिसमें एक ग्रामीण महिला कार्यकर्त्ता के साथ इसलिए यौनाचार किया गया क्योंकि वह बाल–विवाह के पक्षध्र थे। आयोग की रिपोर्ट पर प्रधनमंत्री ने उस महिला के लिए मुआवजा स्वीकृत किया।

5 महिला सशक्तीकरण एवं प्रगति हेतु प्रोत्साहन कार्य :

नई आर्थिक नीति के प्रभाव की समीक्षा हेतु आयोग ने महिलाओं के रोजगार, समानता तथा आर्थिक सुधरों का महिलाओं पर प्रभाव नामक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।

जरूरतमंद महिलाएँ और उनके परिवार कापफी हद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहते हैं। तीन राज्यों में सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद आयोग ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे ऐसी दुकाने महिलाओं की सहयोग समितियों अथवा जरूरतमंद महिलाओं को दे।

1993 में संविधन में 73वां और 74वां संशोध्न करके पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर–निकायों में महिलाओं को 33÷ आरक्षण दिया गया। यह आयोग ने महिला सशक्तिकरण हेतु रणनीतियाँ बनाने हेतु एक विशेषज्ञ समूह गठित किया और उसके निष्कर्ष के आलोक में आयोग ने दशम् वित्त आयोग को दो मुख्य अनुशंसाएँ भेजी[7]–

1- केन्द्र से राज्यों को निध्ि देते समय जो मापदंड बनाए जाएं उनमें फराज्य में महिलाओं का विकासय् एक मापदंड अवश्य हो।

2 राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि ग्राम स्तर पर भी कुछ निश्चित प्रतिशत राशि महिलाओं की सहायता यथा जलपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषाहार, सपफाई आदि के लिए सुरक्षित है।

महिला एवं पंचायती राजय नामक कार्यशाला में चूनी गई महिलाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों में लिंग पूर्वाग्रह रेखाकिंत किया गया तथा फइलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों हेतु लौंगिक दृष्टिय् नाम से यह एक कार्यशाला आयोजित की गई। तत्पश्चात् सरकार को सलाह दी गई कि वह संचार माध्यमों के लिए निर्गत दिशानिर्देशों में संशोध्न करे जिससे वे महिलाओं की रूढ़िब(नाकारात्मक छवि न दिखाएँ एवं महिलाओं की प्रगति हेतु सरकार अपनी नीतियों में संशोधन करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियाँ :

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अन्तर्गत इस आयोग को महिलाओं से संबंध्ति विकासोन्मुखी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के साथ महिलाओं के लिए कानून के अंतर्गत जो सुरक्षायें प्रदान की गई है, उसके उल्लंघन के मामलों एवं महिलाओं को उनके अध्किारों से वंचित रखने की शिकायतों की जाँच करते समय इसे मुकदमा सुनने वाली दीवानी अदालत की शक्ति प्राप्त है। यह आयोग किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए सम्मन जारी कर सकता है, और शपथ पर उससे पूछताछ कर सकता है। यह किसी भी कागजात की मांग कर सकता है। और हलपफनाओं पर साक्ष्य आयोग से परामर्श करेगी यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा सिपफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे। सरकार को इसके संतोषजनक कारण बताने होंगें। इसी तरह आयोग को यह भी अध्किार है कि वह अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेज सकती है।[14]

आयोग की भूमिका तथा प्रभाव का स्वागत :

जनता में विशेषकर महिलाओं में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकलापों तथा बदलाव में उसकी असरदार भूमिका की जानकारी एवं जागरूकता। महिला आयोग की पहल से महिलाओं में सामाजिक एकता तथा संगठित होकर कार्य करने को बढ़ावा। एवं महिलाओं को शीघ्र न्याय का भरोसा देना।

आयोग की स्वयंसेवी संस्थाओं तथा संबंध्ति अध्किारियों से लगातार विचार विमर्श द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक क्षेत्राों तथा विकास के निम्न स्तरों तक प्रवेश में फैलाव। राष्ट्रीय मानव आयोग, अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग, प्रेस, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारी संगठनों द्वारा महिला आयोग से महिलाओं से संबंध्ति समस्याओं, सूचनओं के लिए शोध सम्पर्क। आयोग द्वारा विभिन्न महिला उत्पीड़न की तत्काल जाँच–पड़ताल तथा संबंध्ति रिपोर्टों के द्वारा समाधन के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर, अपना विशेष स्थान बनाया हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों के राज्य भ्रमण के समय समस्याओं के निवारण के लिए व्यापक संपर्क महिला नियोजकों के निवारण के लिए व्यापक संपर्क महिला नियोजकों का महिला आयोग पर महिलाओं संबंधी समस्याओं का व्यवहारिक शोध–एवं जानकारियों पर भरोसा तथा निर्भरता।महिला आयोग आपसी बातचीत से समस्याओं के समाधन पर जोर देता है। जिससे कि न्यायलायों पर बढ रहे दबाव तथा न्याय पाने के लिए देरी से बचा जा सकें। राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए योजनायें तथा विकास कार्यक्रम बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वैचारिक तथा न्याय संगत खोज पर विश्वास तथा निर्भरता।

कार्यकलाप तथा उपलब्धियाँ :

राष्ट्रीय महिला आयोग की विभिन्न सरकारों, राज्य महिला आयोगों तथा स्वैच्छिक संस्थानों के बीच एकरूपता तथा मार्गदर्शन की उपलब्धिता।

आयोग द्वारा विशेष प्रशिक्षण पैकेज की व्यवस्था जिससे कि महिलाओं को तुरन्त न्याय मिल सकें।

आयोग द्वारा पाँच राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से परिवार महिला लोक अदालतों का आयोजन तथा एक महीने में लगभग 1000 केसों का निपटारा। विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर आयोग अपनी विभिन्न कमिटीयाँ जैसे कानून, मजदूर, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार हिरासत तथा न्याय, पंचायती राज प्रचार–प्रसार माध्यमों, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं। पांडिचेरी में फ्महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा न्यायय् प्राप्ति के लिए चलाये गये मंगलम प्रोजेक्ट का पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु तथा कर्नाटक में व्यापक प्रभाव है।आयोग के विभिन्न शोध कार्य–जैसे सामाजिक चेतना, तलाक, तथा मुआवजा, पंचायती राज्य की व्यावहारिकता, महिला ठेका श्रमिको, न्यायिक निर्णयों, परिवारिक अदालतों, महिलाओं को इंजिनियरिंग की शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के फ्स्वास्थ्य तथा शिक्षा तक पहुँचय् की रिपोर्टों के आधर बनाकर, सरकार को नीतिगत सुझाव।महिला विद्यालयों से लेकर गाँव स्तर तक की महिलाओं में महिला कानूनों की जानकारी के लिए व्यापक कार्यक्रम। महिलाओं पर परिवारिक उत्पीड़नों में रोक, विवाह तथा तलाक, विवाह का आवश्यक पंजीकरण एवं परित्यक्त बच्चों के गोद लेने संबंधी कानून बनाने तथा वर्तमान कानूनों में समुचित परिवर्तनों के लिए सुझाव।

बच्चों के यौन–शोषण सम्बन्धी दण्ड संहिता संशोध्न अधिनियम प्रस्ताव का आंकलन तथा संस्तुति।

नौ राज्यों में राज्य महिला आयोगों के गठन में सपफलता पुलिस, अध्किारियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के लिए महिलाओं के प्रति संवेदन कार्यशालाओं का आयोजन कर महिला सुरक्षा कानूनों का प्रभावशाली कार्यान्वयन

पर बल। महिलाओं से संबंधित समस्याओं तथा उनके उत्पीड़न के तुरंत निदान हेतु महिला लोक अदालतों का आयोजन एवं परिचालन।

उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्याय बोर्ड कमेटियों को परिवर्तित कानूनों के संबंध में दिशा निर्देश।

- महिला स्वैच्छिक संगठनों के साथ प्राथमिकता के आधर पर ताल–मेल।
- आयोग द्वारा लोक प्रभावित मामलों की जाँच पड़ताल।
  ईसाई महिलाओं के उत्तराधिकार से वंचित रहने संबंधी कानून पर अधिनियम द्वारा रोक लगाने में सफलता।

राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों से जेलों में 10 साल अथवा अधिक समय से सजा काट रही महिलाओं की मुक्ति तथा उनके बच्चों को समुचित सुविध प्रदान करवाने में सफलता।

प्रतिष्ठित नेशनल ला स्कूल बैंगलोर के साथ लगातार सम्मेलन कर सभी राजनैतिक क्रिया–कलापों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जोर देता रहता है।

महिलाओं का विकास तथा उन्हें समर्थ बनाना :

महिला आयोग, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों पर लगातार जोर देती रही है कि राज्य विद्यानसभाओं लोकसभा तथा राज्य सभा में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करें अथवा कम से कम एक तिहाई सीटों की व्यवस्था करें। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में, पुलिस व न्यायालयों सहित एवं सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों, स्वशासी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों पर 10 वर्षों के लिए महिलाओं के 30÷ पद सुरक्षित्रा रखे जाएँ।

इस प्रकार राष्ट्रीय आयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब महिलाओं को पुरुषों के जुल्म हिंसा और अन्याय का समाना करना पड़ता है। अतः इससे बचाने के लिए जिस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है वह अपने मकसद में ज्यादा सपफल नहीं हो पा रहा है। यह ठीक है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ रही हैं लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आयोग में शिकायत लेकर पहुँचने वाली महिलाओं ने अधिक संख्या उनकी है जो न केवल पढ़ी–लिखी है बल्कि आर्थिक रूप से आत्म–निर्भर होने के साथ–साथ अपने अधिकारों को पहचानती भी हैं। लेकिन गाँवों की अनपढ़, कम पढ़ी लिखी और दबी–कुचली महिलाओं की आवाज इस आयोग में नहीं सुनी जाती। ये सब खामियाँ वर्तमान में उजागर हो रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग यह कहकर उनकी आवाज अनसूनी कर देता है कि उनके लिए राज्यों में आयोग है, पर राज्यों के आयोग–किस भरोसे चल रहे हैं और इस मामले में राष्ट्रीय आयोग क्या कदम उठा रहा है, इस सवाल पर आयोग पल्ला झाड़ लेता हैं। किसी घटना को होने पर महिला आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया तो दी लेकिन वास्तव में उसने कोई ठोस कारवाई नहीं की। आरूषि हत्याकांड मामले में तो आयोग की कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए। आयोग में शिकायतों का ढेर लगा है लेकिन निपटाने वाला कोई नहीं है। आयोग के कई प्रस्ताव कागजों में ही सिमट कर रह गए और उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। बात चाहे लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा में परिवर्तन की हो या पिफर इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया में महिलाओं का अश्लील चित्राण रोकने या पिफर विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव हो। अलबत्ता, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका को याद किया जाएगा। इससे संबंधित विध्यक बनाने में

आयोग ने खूब गंभीरता दिखाई और इसका असर यह हुआ कि जल्द ही यह विधेयक संसद मे पेश किया जाएगा। अप्रवासी भारतीय पंतियों के जुल्मों और धेखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका सराहनीय रही है। यह प्रकोष्ठ अप्रवासी मामलों के मंत्राालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोग की मदद से जरूरी सहायता मुहैया करा रहा है। फ्आनर किलिंगय् रोकने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिपफारिशों को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्राालय ने सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों के क्षेत्रा में प्रौद्योगिकी प्रगति को देखते हुए महिला अशिष्ट निरूपण ;निषेध्द्ध अधिनियम 1986 में संशोध्न करने का प्रस्ताव किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्राालय द्वारा प्रस्तावित संशोध्न के मुताबिक, व्हाट्सप और स्काइप जैसे डिजिटल मैसेजिंग प्लेटपफार्मों पर महिलाओं को अश्लील तरीके से पेश करने संबंधी कृत्यों को अवैध् घोषित किया जाना चाहिए।[17]

- ❖ विज्ञापन की परिभाषा में संशोध्न किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत डिजिटल स्वरूप या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा हार्डिंग या एसएमएस आदि के जरियें विज्ञापन को शामिल किया जाएगा।
- ❖ वितरण की परिभाषा में भी संशोध्न किया जाना चाहिए। इसमें प्रकाश्न, लाइसेंस या कंप्यूटर संसाध्न का उपयोग कर अपलोड करने अथवा संचार उपकरण शामिल किये जाने चाहिए।
- ❖ राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधन में केन्द्रीकृत प्राध्किरण का गठन। इस प्राध्किरण की अध्यक्ष छॅ की सदस्य सचिव होंगी और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद्, सूचना और प्रसारण मंत्राालय के प्रतिनिध्ि शामिल होंगे तथा महिला मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव रखने वाली एक सदस्य होगी।
- ❖ केन्द्रीय प्राध्किरण को प्रसारिक या प्रकाशित किये गए किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन से संबंध्ति शिकायत प्राप्त करने और महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़े सभी मुद्दों जाँच करने का अध्किार होगा।

प्रिंट मिडिया के साथ–साथ डिजिटल मीडिया जैसे कि इंटरनेट, केबल टेलीविजन आदि बहुत से नए माध्यमों से महिलाओं को गलत तरीके से पेश किया जाता है। इस प्रदर्शन पर रोक लगाने के ध्येय से इन संशोध्नों को प्रस्तावित किया गया था। उस समय इसमें विज्ञापनों एवं प्रकाशनों, लेखों, चित्राकला आदि माध्यमों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से पेश किये जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी।

महत्वपूर्ण प्रावधन यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को गिरफ्तारी का अध्किार नहीं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिला का उत्पीड़न करने के दोषी और सम्मान को नजर अंदाज करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का अध्किार नहीं मिला। विध्ि मंत्राालय ने आयोग को गिरफ्तार करने और सजा देने की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विध्ि मंत्राालय ने आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों के लिए दो अलग–अलग चयन समितियाँ होने पर भी सवाल खड़े किए।

विधि मंत्राालय का नजरिया है कि आयोग को गिरफ्तार करने और सजा देने की शक्तियाँ नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पुलिस तथा न्यायपालिका के क्षेत्राध्किार में आता है। विध्ि मंत्राालय ने यह भी कहा कि आयोग की अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन के लिए एक ही चयन समिति पर्याप्त है। आयोग को ज्यादा मजबूत बनाने के प्रयास में महिला एवं बाल विकास मंत्राालय की योजना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा के मामलों से निपटाने के लिए राष्ट्रीय मानवाध्किार आयोग के बराबर शक्तिशाली बनाया जाए। मंत्राालय

के प्रस्ताव के अनुसार महिला आयोग के सम्मान नजर अंदाज करने वाले लोगों को जेल में डाला जा सकता है। डब्ल्यूसीडी मंत्राालय चाहता है कि महिला आयोग असरदार संस्था बने ताकि यह जेल भेजने की सिपफारिश कर सकें और मामलों को अदालत भेज सकें।[18]

गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अध्याय तीन के अनुसार, आयोग के पास संविधन तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने से जुड़े सभी मामलों में जाँच करने का अध्किार हैं। आयोग के लिए सिपफारिश करने का भी अध्किार है। आयोग महिलाओं को उनके अध्किारों से वंचित, महिला संरक्षण देने वाले कानूनों के लागू नहीं होने की खबरों पर और समानता तथा विकास का उद्देश्य हासिल करने के लिए स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्रा है।

महिलाओं को समानता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने वाली उस दिशा में आयोग का अवश्यक अंग है, न्याय कि उपलब्ध्ता। सभी वर्गो की महिलाओं के लिए नितांत आवश्यक है महिलाओं को कानूनी अध्किारों का पूर्ण उपयोग करना चाह रही है, जिसके लिए उन्हें केवल न कानूनी प्रावधनों अपितु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके लाभ हेतु चलाई जा रही आर्थिक सामाजिक एवं विकास योजनाओं से भी प्रक्रिया है जो महिलाओं को सामग्री, बौ(िक और मानव संसाध्नों तक पहुँच और नियंत्राण हासिल करने में सक्षम बनाती है सशक्तिकरण सत्ता का पुनर्वितरण है जो पित्सत्तात्क विचारधरा और पुरुष प्रधनता को चुनौती देता है। महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण समग्र प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक भागीदारी महिला सशक्तीकरण के लिए एक प्रमुख मार्ग है और निर्णय की शक्ति में वृ(शब्द के सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा देगी। आज भी कई लोग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से पुरुषों से हीन समझते है। यह एक अपरिवर्तनीय स्वयंसि(के रूप में अक्सर निर्धरित होता है कि पुरुष सामाजिक रूप से श्रेष्ठ है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हैं। इस मिथक के अनुसार पुरुष वर्चस्व इतिहास के एक विशेष चरण में एक सामाजिक घटना नहीं है, बल्कि एक ही प्राकृतिक कानून है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, आयोग का आध्किारिक जालस्थल
2. लाइव हिन्दुस्तान 19 सितम्बर 2014
3. सरकार का अधिनियम नंबर 2010, भारत की
4. www.indiatately.org/2016/may/wom.new.htm.
5- http/ncw. nic.in/ publication. htm
6. सुभाष शर्माः भारतीय महिलाओं की दशा, आधर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, हरियणा, 2006 पृ॰ स॰ 129
7. ममता मेहरोत्राा : महिला अध्किार, राधकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2017, पृ॰ स॰ 74
8. वही पृ॰ 74
9. सुभाष शर्मा : भारतीय महिलाओं की दशा, आधर प्रकाशन, प्राइवेट लि॰, हरियाणा, 2006, पृ॰ स॰ 131
10. भारत की शिक्षा और सामाजिक उत्थान मंत्राालय द्वारा महिलाओं की स्थिति के विषय पर जारी रिपोर्ट पर आधर, दिल्ली–1975 पृ॰– 7
11. डॉ॰ गोपा जोशी : भारत में स्त्राी असमनता एक विमर्श, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ॰– 83
12. ममता मेहरोत्राा : महिला अध्किार, राधकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2017, पृ॰ स॰ 41
13. एम॰ बी कजिन्स, इंडियन वुमैनहुड टूडे, इलाहाबाद, ;1941द्ध पृ॰– 15

14. श्रीमती सुध रानी श्रीवास्तव : भारत में महिलाओं की वैधनिक स्थितिऋ कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2007, पृ॰ स॰ 27

15. मीरा देसाई, उषा ठक्कर, भारतीय समाज में महिलाएँ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, पृ॰– 105

16. .मीरा, देसाई, वीमेन इन मार्डन इंडिया, पृ॰– 63,

17. www.dristiias. com.

18- m. linehindustan. com.